भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 320

19 नवम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

विश्व भुखमरी सूचकांक

320. श्री टी आर बालू:

श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

श्री मलूक नागर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भुखमरी और कुपोषण सूचकांक में अपने पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पिछड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में बहुत अधिक भंडार हैं और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि देश के गोदामों में अभी भी 1150 मीट्रिक टन खाद्यान्न का भंडार हैं और एफसीआई के केन्द्रीय पूल में अभी भी 73.6 मिलियन टन गोदामों में संग्रहीत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा 'जीरो हंगर के सतत विकास लक्ष्य' को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में 19 करोड़ लोग भोजन के निवाले के बिना हर दिन अभी भी सो रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या देश में खाद्यान्न के बड़े भंडार होने के बावजूद लगातर बनी रहने वाली भूख/भुखमरी की समस्या को दूर करने और देश में खाद्यान्न को अधिक सुलभ बनाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): सार्वजनिक डोमेन (http://www.concern.net/insights/globle-hunger-index-2019) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंसर्न वर्ल्ड वाईड द्वारा प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में भारत का स्थान 102 है। पाकिस्तान का स्थान 94 है, बंगलादेश का स्थान 88 है तथा नेपाल का स्थान 73 है। कंसर्न वर्ल्ड वाईड की जीएचआई रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के संयुक्त जीएचआई स्कोर में सुधार हुआ है और यह वर्ष 2000 में 38.8 से घटकर वर्ष 2019 में 30.3 रह गया है। अतः देश ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान निरंतर सुधार प्रदर्शित किया है।

जारी.....2/-

(ख) से (घ): केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉकिंग मानदंडों की तुलना में खाद्यान्नों के वास्तविक स्टॉक में पर्याप्ततः वृद्धि हुई है। दिनांक 01.11.2019 की स्थिति के अनुसार, खाद्यान्नों के 307.70 लाख टन के स्टॉकिंग मानदंड (01 अक्तूबर की स्थिति के अनुसार) की तुलना में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक 604.82 लाख टन था (231.05 लाख टन चावल तथा 373.77 लाख टन गेहूं)।

भारत सरकार भुखमरी की समस्या को उच्च प्राथमिकता देती है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार न्यूट्री-सीरियल्स/गेहूं/चावल के लिए क्रमशः 1/2/3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को कवर किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों के तहत की गई है - अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कवर किए गए परिवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच)। जहां प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने की पात्रता है, वहीं एएवाई परिवार, जो निर्धनतम हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल इस अधिनियम का कार्यान्वयन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज को पर्याप्ततः अधिक रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के वंचित और जरूरतमन्द वर्गों को इसका लाभ मिले। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों को पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निर्धारित पौषणिक मानदंडों के अनुसार निःशुल्क पोषक भोजन प्राप्त करने की पात्रता है। पात्रता के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति न किए जाने के मामले में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एनएफएसए का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षत्र प्रशासन एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए जिम्मेदार हैं।

जारी.....3/-

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत तथा प्राकृतिक आपदाओं तथा त्यौहारों के कारण आवंटनों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 612.18 लाख टन खाद्यन्न आवंटित किया था। वर्तमान वर्ष अर्थात 2019-20 के दौरान भारत सरकार ने एनएफएसए, ओडब्ल्यूएस तथा अतिरिक्त आवंटनों के तहत अब तक 603.88 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एनएफएसए तथा ओडब्ल्यूएस के तहत वर्तमान आवंटन के अलावा खाद्यान्न की अपनी अतिरिक्त वार्षिक आवश्यकता (चावल तथा गेहूं) दर्शाने का भी अनुरोध किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण संबंधी स्कीम ने देश भर में लाभार्थियों को सही तरीके से लक्षित करना सुनिश्चित किया है।

भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श पत्र जारी किए हैं कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समाज के सबसे कमजोर वर्गों कि पहचान करें और उन्हें कवर करें तथा उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श पत्र जारी किए हैं कि केवल "आधार" न होने के कारण किसी भी लाभार्थी/परिवार को पात्र परिवारों की सूची से हटाया नहीं जाएगा और "आधार" उपलब्ध न होने अथवा बायोमेट्रिक प्रमाणन असफल रहने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों अथवा खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण से वंचित नहीं किया जाएगा।

*****